MSME सेतु

मुफ्त वेबिनार श्रृंखला

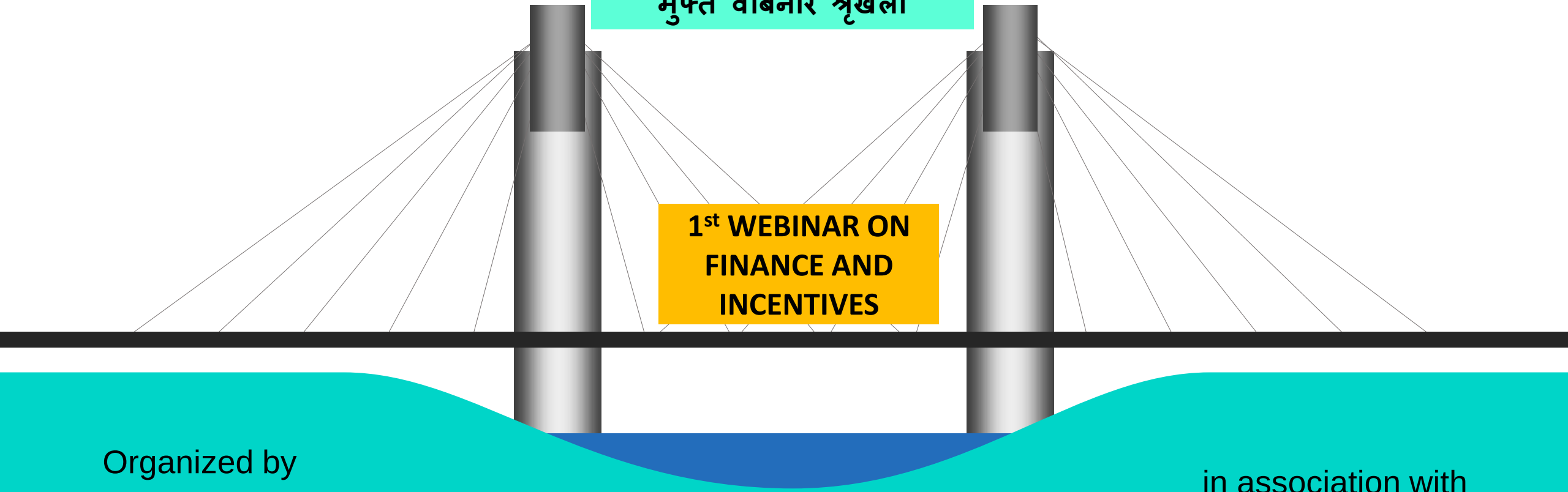

1st WEBINAR ON FINANCE AND INCENTIVES

Organized by

GSC Intime
Services Private Limited
Right advice at right time...

in association with

JYF PANJO Vyapaar

16-MAY-2020

वेबिनार के बारे में...

वेबिनार का यूट्यूब लिंक:
https://youtu.be/MrvzBS2CJPk

सत्र का सारांश देने के लिए सीए नवीन खंडेलवाल को विशेष धन्यवाद

मॉडरेटर:

सीए जयेश गोगरी, जीएससी इनटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (GSC Intime Services Private Limited) के प्रबंध निदेशक

पैनलिस्ट:

- श्री हार्दिक ममनिया, जेवाईएफ पंजो व्यापर (JYF Panjo Vyapar) के संस्थापक
- सीए प्रसन्ना सुडके, जीएससी एंड कंपनी एलएलपी (GSC & Co. LLP) के पार्टनर
- सीए प्रेरणाशाह, जीएससी इनटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक (GSC Intime Services Private Limited)
- सीए अनिल कगाथरा, एकेएमके एंड एसोसिएट्स में मैनेजिंग पार्टनर (AKMK & Associates)
- सीए तन्वी बंगेरा, एकेएमके एंड एसोसिएट्स में पार्टनर (AKMK & Associates)
- श्री मनीष मित्तल, वित्त सलाहकार
- श्री कमल अग्रवाल, एलएपी मुंबई क्षेत्र के प्रमुख - एक्सिस बैंक (Axis Bank)
- श्री सुरेश अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक - भारतीय स्टेट बैंक ठाणे शाखा (State Bank of India)
- श्री कैलाश वरूडिया, सीएफओ –आरएक्सआईएल (RXIL)

...वेबिनार के बारे में...

मुंबई की बहु प्रतिष्ठित फर्म **GSC इनटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर **ऑनलाइन वेबिनार सीरीज** आयोजित किया गया है| 16 मई 2020 के दिन इस सीरीज के पहले चरण में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई जिसका विषय था **माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि MSME इंटरप्राइजेज के लिए कोरोना के चलते तथा उसके अलावा क्या-क्या फायदे और राहतें तथा स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है और उन्हें कैसे उनका लाभ उठाना है|**

इस अवसर पर **GSC** की टीम के साथ फाइनेंसियल, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी के अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ व्यक्ति, बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, फाइनेंसियल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा लॉयर आदि भी उपस्थित थे|

...वेबिनार के बारे में

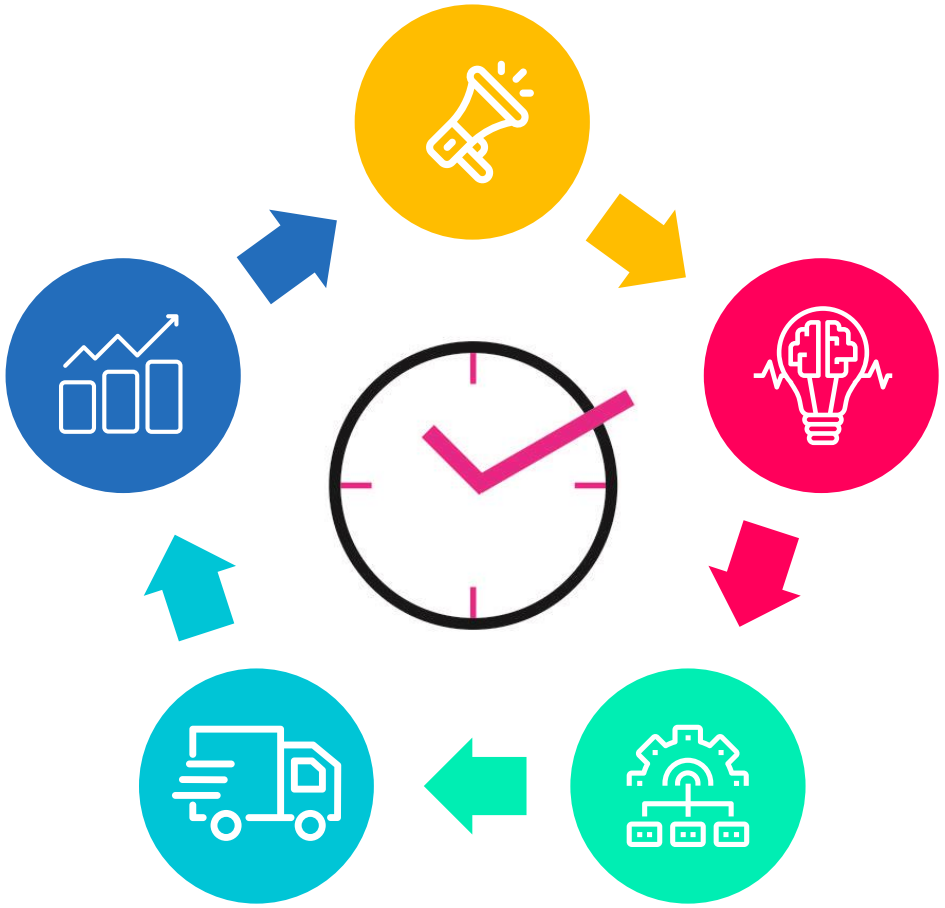

कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी, सारी चर्चा और परिचर्चा **90% समय हिंदी में**, जो कि उनके कमिटमेंट का एक पार्ट था| मुंबई की इस प्रसिद्ध फर्म द्वारा देश की भाषा में इस तरह का सरल और सहज आयोजन शायद पहली बार हुआ है|

शुरू में इस वेबीनार के मास्टरमाइंड **हार्दिक मामनिआ** एवं **जयेश गोगरी** ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, उसके तात्पर्य को समझाया हल्के-फुल्के लहजे में| जिससे कार्यक्रम में दिलचस्पी शुरू से ही बन गई|

करीब 600 लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइव सुना और फायदा उठाया नए विचारों का, नई योजनाओं का, स्कीम की जानकारी का|

आइए क्रमवार जानकारी आपको सारांश में बताते हैं....

MSME का महत्व

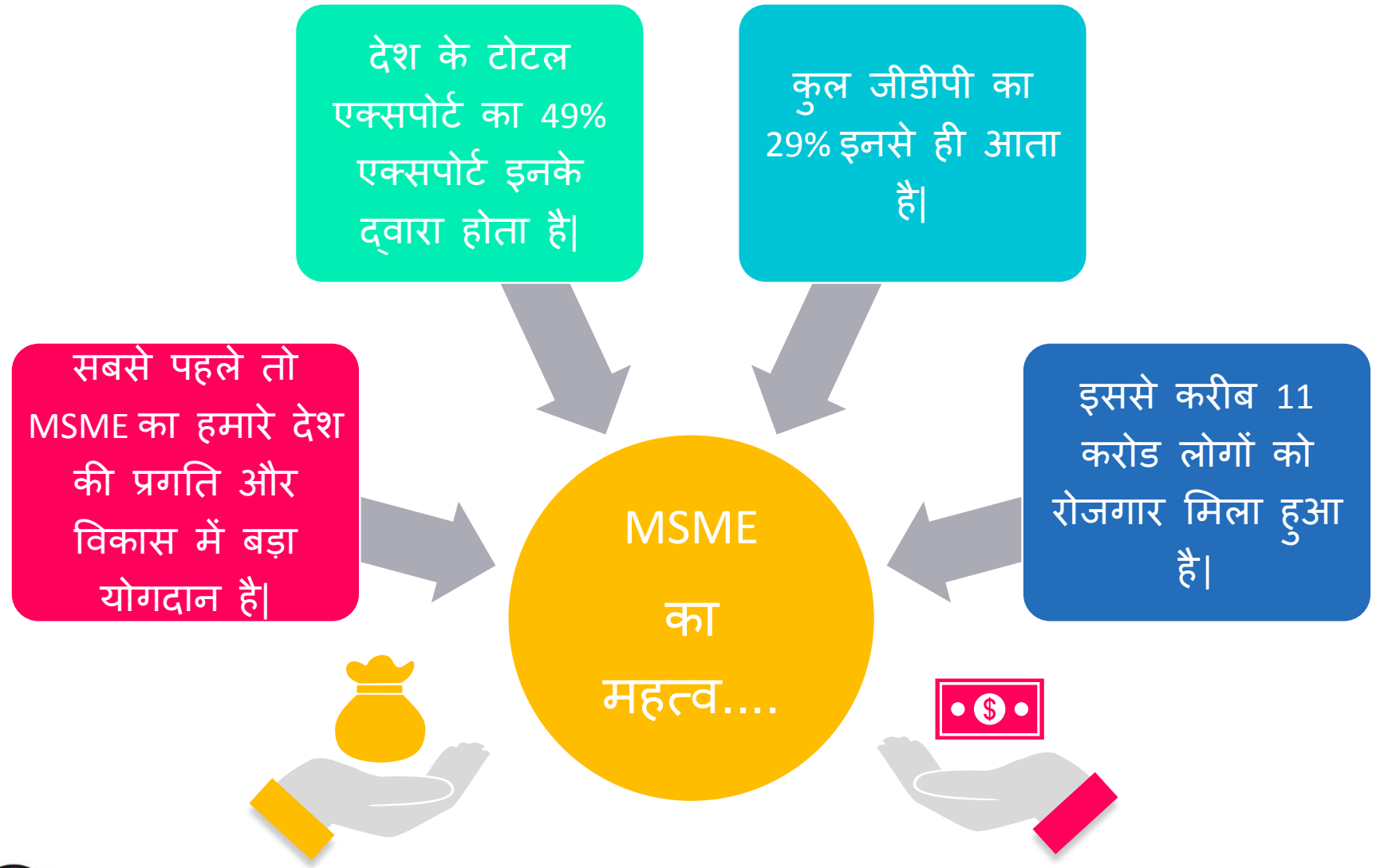

एक व्यक्ति के पीछे यदि तीन लोग मान लें परिवार में तो कम से कम 44 करोड़ लोग MSME पर निर्भर है, यानी देश की जनसंख्या का एक तिहाई|

कौन कहलायेगा MSME?...

ऐसे बिजनेस इंटरप्राइजेज जो **प्लांट एवं मशीनरी में निवेश** करते हैं| पहले मैन्युफैक्चरिंग, सेमी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही MSME कहे जाते थे! कोरोनावायरस के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए जो नई डेफिनेशन बताई गई है उसमें निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है एवं वार्षिक बिक्री के मापदंड को भी शामिल कर लिया गया है|

MSME का सीधा मतलब होता है **माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज**, जिसकी परिभाषा नीचे दि गई है -

	प्लांट मशीनरी निवेश	वार्षिक बिक्री
माइक्रो	1 करोड़ तक	5 करोड़ तक
स्मॉल	1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक	5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ तक
मीडियम	10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ तक	50 करोड़ से ज्यादा लेकिन 100 करोड़ तक

ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूंकि यह कानून अब तक अधिनियमित नहीं है, इस बात की स्पष्टता नहीं की गयी है दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए या कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए|

लेकिन गवर्नमेंट दस्तावेजों की वर्तमान भाषा देखते हुए ऐसा लगता है सिर्फ निवेश या सिर्फ वार्षिक बिक्री से नहीं चलेगा यानी निवेश बराबर है परंतु वार्षिक बिक्री ज्यादा हो जाने पर MSME नहीं कहला पाएंगे और फायदे नहीं मिल पाएगा|

...कौन कहलायेगा MSME?

इस तरह के वर्गीकरण का महत्व है की लगभग 80% फायदे माइक्रो एवं स्मॉल इंटरप्राइजेज को ही मिलते हैं| 45 दिन तक बिल की राशि अदा नहीं होने पर जो अच्छी रेट से ब्याज प्राप्त करने की सुविधा है वह मीडियम इंटरप्राइजेज को नहीं है, सिर्फ माइक्रो एवं स्मॉल को उपलब्ध है|

रजिस्ट्रेशन के वक्त ऑथोरिटी के पास मेमोरेंडम फाइल करना माइक्रो एवं स्माल को जरूरी नहीं है, मीडियम को करना जरूरी है|

मूल रूप से क्या-क्या **फायदे** हैं MSME को?

आइए समझते हैं....

वित्तीय फायदे...

कई तरह की **सब्सिडी** मिलती है

और दाम की **प्रतिपूर्ति** मिलती है|

वित्तीय फायदे...

- अगर इंटरप्राइजेज ने बैंकों से पहले से सीसी लिमिट की सुविधा ले रखी है तो उनको स्मॉल **MSME लिबरलाइज्ड वर्किंग कैपिटल योजना** के तहत पूंजी आधार एवं गैर निधि आधार की अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी|
- **मार्च 2021 के दिए हुए कारोबार अंदाज़ की 33% तक लिमिट मिल सकती है और इसमें मार्जिन भी 25% की बजाय अधिकतम 15% तक ही रहेगा**
- इसके अलावा एक **COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट** की सुविधा है जो सीमा मिली हुई है उसके अतिरिक्त 10% और लिमिट डिमांड लोन के रूप में मिल सकती है **जिसका 6 महीने का मोरटोरियम पीरियड होगा और अगले 6 महीने में बराबर किस्तों** में यह पैसा चुकाना है जिस पर ब्याज के दर भी कम है जो कि फिलहाल 7.75% है|
- अगर कोई नया व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसे **मुद्रा लोन** जैसी सुविधाओं के अंतर्गत आवेदन करके 10 लाख रुपए तक का बिना कॉलेटरल सिक्योरिटी वाला **टर्म लोन अथवा सीसी लोन** भी मिल सकता है|
- एक **स्टैंड अप इंडिया स्कीम** भी है जिस के अंतर्गत महिला एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल बढ़ावा देने के लिए तथा एससी एसटी वालों को बढ़ावा देने के लिए 9.40% के दर से सीसी लोन या टर्म लोन दिया जाएगा, अधिकतम 1 करोड रुपए तक का, नया बिजनेस करने के लिए|

...वित्तीय फायदे

इसके अलावा एक और **सीजीटीएसएमई स्कीम** जिसके अंतर्गत अधिकतम 2 करोड रुपए तक का लोन बिना कॉलेटरल सिक्योरिटी के टर्म लोन अथवा सीसी लोन के रूप में दिया जा सकता है| यह स्कीम प्राइवेट बैंकों में भी लागू है|

इसके अलावा चैनल फाइनेंसिंग और फैक्टरिंग बिल डिस्काउंटिंग इत्यादि जिसमें खरीदी बिल और बिक्री बिल दोनों के आधार पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है यह नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनीज द्वारा दी जा रही है| यहां पर व्यावसायिक नज़रिये से देखें तो एक मंच प्रदान किया जाता है जहां पर बिल पर डिस्काउंट के मार्फत फाइनेंस होता है|

इन सभी परिवर्तनों पर प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर चर्चा हुई है और कानून लागू होने के बाद ही सटीक प्रभाव पर चर्चा की जा सकती है|

अन्य फायदे

अगर **आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन** कराना है तो लगने वाले शुल्क का 75% (अधिकतम ₹ 75000) सरकार देती है|

अगर आपको कोई **पेटेंट अथवा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन** कराना है तो उसमें लगने वाले शुल्क का 100% सरकार देती है|

जो भी आपका **बिजली बिल** आ रहा है उसमें **डिस्काउंट** आवेदन करने के पश्चात मिलता है|

कहीं पर कोई **क्रेडिट रेटिंग** करवानी है तो उस पर जो चार्जस लगते हैं वह 100% रीइंबर्स होते हैं|

अगर आपको अपने **प्रोडक्ट का कहीं पर कोई सर्टिफिकेशन** करवाना है तो उस पर सब्सिडी प्राप्त होती है, मार्केटिंग असिस्टेंस के स्वरूप में|

अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर में और प्रदर्शनी में आपको हवाई किराये का 100% और प्रदर्शनी में लगने वाले खर्चे इत्यादि का 80% तक मिलता है|

अगर आपको अपने **बिजनेस की वृद्धि या विस्तार** करना है तो उसमें जो मूल्य लगता है उस पर 80% तक **प्रतिपूर्ति** मिलती है|

इसके अलावा कि महाराष्ट्र राज्य की वर्तमान इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी के अन्तरगत **जमीन इमारत और प्लांट मशीनरी की लागत तक का स्टेट जीएसटी 100% माफ होता है, स्टैम्प ड्यूटी** में भी छूट मिलती है और **बिजली शुल्क** में भी छूट मिलती है|

कर सम्बंधित...

फर्म की पार्टनर **प्रेरणा शाह** ने टैक्सेशन में फायदे बताते हुए कहा कि

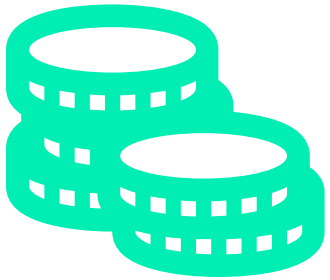

डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो इनकम टैक्स में **प्रिज्मटीव टैक्सेशन स्कीम** है उसके तहत ₹2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होने पर ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है| और आपका काम **डिजिटाइजेशन के तहत** हो रहा है, तो डिजिटाइजेशन के अनुपात में जो 8% मिनिमम प्रॉफिट माना जाता है उसे 2% कम करते हुए 6% माना जाएगा| **यदि नकद में व्यापार लेनदेन कुल कारोबार का 5% से कम है तब ऑडिट की सीमा बढ़कर 5 करोड़ हो गई है**|

MSMEs के लिए **कॉर्पोरेट टैक्स** जो 30% था उसे घटाकर 25% कर दिया गया है, हालाँकि कानून के अनुसार हर कोई जिसका वार्षिक कारोबार 400 करोड़ से कम है, वे इसका फायदा ले सकते हैं।
अगर आपने कोई **अतिरिक्त कर्मचारी** को नियुक्त किया है किसी साल पिछले साल के मुकाबले में तो उस पर लगने वाली क़ीमत की 130% तक छूट दी जाएगी|

इसी प्रकार **विवाद से विश्वास तक स्कीम** चलाई गई है उसमें शामिल होने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दि गयी है इस वजह से देर होने पर 10% जुर्माना और ब्याज भरने की जो बात थी वह भी 31 दिसंबर 2020 तक लागू नहीं होगी|

...कर सम्बंधित...

इसके अलावा पिछले 7 सालों में लगातार कोई भी 3 साल तक कर-छुट्टी की सुविधा भी है अगर **नया स्टार्टअप** का व्यवसाय है और हानि को अग्रनीत भी किया जा सकता है|

अप्रत्यक्ष कर के कानून में बदलाव से विभिन्न रिटर्न्स, स्टेटमेंट्स, ऍप्लिकेशन्स आदि की नियत तिथि को बढ़ानेका अधिकार सरकार को प्राप्त हुआ|

अप्रत्यक्ष कर में, कोई भी, सेवा क्षेत्र सहित, **कंपोजिशन स्कीम** का विकल्प चुन सकता है। लेकिन, इस स्कीम में उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

हर महीने कर भुगतान करने के बजाय **त्रिमासिक कर भुगतान करने और त्रिमासिक रिटर्न फाइलिंग** की सुविधा है|

कोरोनावायरस के प्रभाव को खत्म करने के लिए और भी कुछ नए फायदे घोषित किए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा

...कर सम्बंधित...

प्रत्यक्ष कर सम्बंधित:

टीडीएस एवं टीसीएस के दर में कुछ समय के लिए 25% तक की कमी कर दी गई है, यानी 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जिससे करीब 50000 करोड रुपए का बेनिफिट पूरे देश में मिलेगा| सिर्फ वेतन और अनिवासी भारतीय के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा| वैसे देखा जाए तो अग्रिम कर देयता में या अंतिम कर देयता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा| लेकिन फ़ौरन राहत तो मिल जाएगी|

रूका हुआ रिफंड गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों, पेशेवर और धर्मार्थ ट्रस्ट को जल्द ही प्रदान किए जायेंगे|

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जो **रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख** है वह बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 और **टैक्स ऑडिट की अंतिम तारीख** बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है|

अप्रत्यक्ष कर सम्बंधित नियत तिथियां बढ़ाई गईं :

पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड तक है तो फेब्रुअरी, मार्च और अप्रैल 2020 का **जीएसटी का रिटर्न** 30 जून, 3 जुलाई और 6 जुलाई 2020 क्रमानुसार तक भर देने पर ब्याज और दंड से राहत।

पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड से अधिक किन्तु 5 करोड तक है तो फेब्रुअरी और मार्च का **जीएसटी का रिटर्न** 24 जून 2020 और अप्रैल 2020 का **जीएसटी का रिटर्न** 30 जून 2020 तक फाइल करने पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा|

5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है तो फेब्रुअरी, मार्च और अप्रैल 2020 के **जीएसटी भुगतान** की मूल अंतिम तारीख से 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा और यदि भुगतान 24 जून 2020 तक किया जाता है तो 18% की बजाए 9% की दर से ही ब्याज लगेगा|

...कर सम्बंधित...

जीएसटी के पोर्टल पर **2A के तहत क्रेडिट** नहीं दिखने पर अंतर होने की स्थिति में एक नया राक्षसी नियम आया था कि जितना मैच क्रेडिट है उसके 10% से ज्यादा का अंतर वाले क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा|

यह बहुत मुश्किल भरी प्रक्रिया थी, इसमें भी फरवरी से अगस्त महीने तक के लिए राहत दे दी गई है| अब मैचिंग सीधे सप्टेंबर 2020 में जाकर करनी होगी| यानी जो क्रेडिट खाते में है वह पूरा ले सकते हैं अगर सही है तो|

उपरोक्त सभी फायदे प्राप्त करने के लिए MSME का रजिस्ट्रेशन फिलहाल अनिवार्य नहीं है| केवल स्टार्टअप के केस में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है|

COVID - 19 की स्थिति से निपटने के लिए कुछ अन्य राहतें भी दी गई हैं जिन पर आगे चर्चा की गई है...

...कर सम्बंधित अन्य फायदे

अप्रत्यक्ष कर सम्बंधित:

- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अप्रत्यक्ष कर के वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है|

- 30 जून 2020 तक दायर किए जाने पर मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटीआर -1 जमा करने की लेट फीस माफ कर दी गई|

- कम्पोजीशन डीलर्स के लिए जनवरी से मार्च 2020 तक की कर देय तिथि 7 जुलाई 2020 तक और रिटर्न फाइलिंग की तारीख 15 जुलाई 2020 तक बढ़ा दि गई है|

- 20 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त होने वाले ई-वे बिल के लिए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दि गई है| अगर ई-वे बिल 24 मार्च 2020 से पहले बनाया गया है और इसकी वैधता की अवधि 20 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि बढ़ा कर 31 मई 2020 तक कर दी गई है|

- डिजिटल हस्ताक्षर के बजाय EVC के माध्यम से GSTR-3B का प्रस्तुतिकरण हो सकता है|

- पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस सुविधा के माध्यम से जीएसटीआर – 3B के रूप में NIL रिटर्न प्रस्तुत किया जा सक्ता है|

- 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच गिरने वाले जीएसटी कानून के तहत विभिन्न कार्यों जैसे रिटर्न, स्टेटमेंट, आवेदन की नियत तारीखों को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है

अस्वीकरण

- यह दस्तावेज़ केवल बुनियादी समझ उद्देश्यों के लिए है। इस दस्तावेज के आधार पर कोई भी कर/व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले जीएससी के साथ विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है।
- यह दस्तावेज़ केवल प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है क्योंकि यह इसके निर्माण की तारीख पर खड़ा है।
- कानून में होने वाले तेज बदलावों के साथ-साथ मानवीय भूल की संभावना को देखते हुए इस दस्तावेज में तकनीकी अशुद्धियां, टाइपोग्राफिकल या अन्य त्रुटियां हो सकती हैं।
- इस दस्तावेज पर भरोसा रखने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जीएससी, उसके कर्मचारी या निर्देशक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।
- सभी अधिकार सुरक्षित। बनाई गई सभी सामग्री जीएससी या उसके सहयोगियों के स्वामित्व में हैं। अनधिकृत उपयोग सख्ती से निषिद्ध है।
- इस दस्तावेज़ का कोई हिस्सा जीएससी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक तरीकों सहित किसी भी रूप में या किसी भी तरह से पुन: पेश, वितरित या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।
- अनुमति अनुरोधों के लिए, जीएससी को लिखें, info@gscintime.com ईमेल पते पर संबोधित करें

Copyright © 2020 by GSC

Disclaimer

- *This document is meant for basic understanding purposes only. A detailed consultation with GSC is required before taking any tax/business decision based on this document*
- *This document is based on the press releases as it stands on the date of it's creation/circulation and may be required to be revisited in view of amendment in law*
- *In view of the rapid changes occurring in Law as well as the possibility of human error, this document may contain technical inaccuracies, typographical or other errors*
- *GSC, its employees or directors are in no way responsible for any loss arising due to reliance placed on this document*

- *All rights reserved. All contents created are owned by GSC or its affiliates. Unauthorized use is strictly prohibited*
- *No part of this document may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of GSC*
- *For permission requests, write to GSC, addressed at the Email address info@gscintime.com*

Copyright © 2020 by GSC

हम तक पहुँचें

GSC Intime
Services Private Limited
Right advice at right time...

West Region

6th Level, HDIL Kaledonia -A,
Sahar Road,
Andheri East,
Mumbai - 400 069

North Region

A-36, First Floor,
Ring Road,
Adjacent to Raja
Garden Flyover,
Rajouri Garden,
New Delhi - 110 027

East Region

406A - 406B,
4th Floor,
Todi Chamber,
2, Lal Bazar Street, Kolkata -
700 001

South Region

64, Thirumalai Pillai Road, T.
Nagar, Chennai – 600 017

www.gscintime.com

+91 22 4612 5600

info@gscintime.com